भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1613**
**13 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए**

## ओडिशा में इस्पात प्रचालनों एवं उससे संबंधित खनन का प्रभाव

**1613. डॉ. सस्मित पात्राः**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ओडिशा के खनिज संपदा में संपन्न जिलों में विशेष रूप से इस्पात उत्पादन के लिए किए जा रहे लौह अयस्क खनन और इस्पात संयंत्रों के प्रचालन से उत्पन्न पर्यावरणीय निम्नीकरण, भूमि एवं जल स्रोतों के संदूषण, प्रतिकूल जन स्वास्थ्य परिणामों से संबंधित निरंतर व्यक्त की जा रही चिंताओं की जानकारी है; और
(ख) पता लगाए गए उल्लंघनों, जारी किए गए निर्देशों और अधिरोपित दंड की प्रकृति तथा अनुपालन की वर्तमान स्थिति सहित, विगत तीन वर्षों के दौरान इन जिलों में इस्पात मंत्रालय अथवा उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए निरीक्षणों, पर्यावरणीय, सुरक्षा एवं सांविधिक अनुपालन लेखापरीक्षा, सामाजिक एवं सामुदायिक प्रभाव आकलनों तथा उपचारात्मक या दंडात्मक कार्यवाइयों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ख): सरकार पर्यावरण निम्नीकरण से संबंधित चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खान सुरक्षा महानिदेशालय और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों जैसी कई एजेंसियों को शामिल करते हुए एक व्यापक नियामक और निगरानी ढांचा लागू है, ताकि पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। वे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा अनिवार्य नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य करते हैं।

निरीक्षण, पर्यावरणीय अनुपालन निगरानी और संबंधित वैधानिक लेखापरीक्षा संबंधित नियामक एजेंसियों द्वारा उनके संबंधित अधिदेश के तहत की जाती है। उल्लंघन के मामले में संबंधित प्राधिकारी उचित कार्रवाई भी करते हैं।

******